न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

वाद मोनू सिंह बनाम तहसीलदार आदि

दावा नं. आ.प्र. अध्याय 212 RT Act 100/2023

18/6/25	पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। पी.ओ.महो.अन्य कार्य में व्यस्त/ दौरे पर/ अवकाश पर/ है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 18/7/25 को पेश है।	
14/7/25	पत्रावली प्रार्थिगण कमलेश कुमार व संदीप सिंह के आवेदन पत्र अंतर्गत पत्रावली तलबी पर आज पेशी है पूर्व पेश हुए प्रार्थिगण की ओर से एड. श्री नारायण कुडाणिया हाजिर आये। प्रार्थिगण स्वयं हाजिर आये। आईपीसी पर हस्ताक्षर करवाये गये। मिलती पहचान एवं प्रार्थिगण श्री नारायण कुडाणिया के श्री व नए आईपीसी पर हस्ताक्षर किये अब वाद नोट शीट में लंबित किया जा चुका है इसलिए इस आवेदन पत्र अध्याय 212 RT Act का आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है अतः प्रार्थिगण स्वयं एवं अभिभाषक प्रार्थिगण के अनुरोध पर आवेदन पत्र अध्याय 212 RT Act प्रार्थी नोट शीट में लंबित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर कार्यवाही आगे बढ़ाई जाए। नियमानुसार 14/7/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।	RTI कानून की पहचान करी। MJ

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर